94

Traffic Police in watching and monitoring the traffic flow at certain important inter-sections.

(d) The steps taken to ensure safe driving in Delhi include construction of flyovers, widening of roads, deployment of traffic staff at more regulation points/inter-sections, strengthening of patrol duty even during non-peak hours, radar checking of over-speeding, removal of road encroachments and improperly parked vehicles, prescription of speed limits for various types of vehicles for different areas and implementation of Road Safety Education programme for road users.

रेसवे बावास को खाली कराना

3900. श्री द्रशा क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंने fer :

- (क) उत्तर रेलवे के उन कम्पनी क्रमांडरों तथा बम इंतेक्टरों की बंबवा कितनी है बोर वैदयार ब्योरा तथा त्यानान्तरण की तारीख क्या है जो भगस्त. 1981 से सब तक की सबधि के दौरान एक स्टेबन से दूसरे स्टेशन को स्थानार-तरित किये गये हैं और जो अपनी निय-क्ति के पिछले स्थानों पर रेलवे क्वार्टरों पर शव भी कम्जा किये हुवे हैं और उन्हें खाली महीं कर रहे हैं:
- (ब) क्या रेलवे प्रावास को बासी कराने की बुध्टि से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विचार है मौर विष हां, तो तत्सम्बन्धी स्वौरा क्या है ; मीर
- (न) पन इंस्पेक्टरों कम्पनी कमांडरों तथा सब इंत्येक्टरीं की संख्या कितनी है को बाल ही में घगस्त, 1981 से भीर सितम्बर, 1981 के दौराच दिल्ली से अन्य स्वानों को स्थानान्तरित किये गये ये भीर जिन्होंने दिल्ली में रेलके बाबास को बासी नहीं किया

है और क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है भीर यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, सो तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्द्राह्म तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (भी मल्लिकार्ज्न) : (क) भीर (व). भगस्त, 1981 से भाज तक उत्तर रेलवे पर स्थानान्तरित किये कम्पनी कमाइरों/उप निरीक्षकों की संख्या, जिनके पास मंभी भी रेसवे क्यार्टर हैं, नीचे वी नवी है:---

स्यानान्तरित किये गये कम्पनी संख्या क्रमांडर तारीख 23-9-81 1 11-1-1982 1 7-6-1982 8-6-1982 29-7-1982 1 7 स्थानान्तरित किये गये उपनिरीक्षक तारीख 2 31-5-1982 2-6-1982 10-6-1982 1 11-8-1982 1

जोड़

उपर्युक्त में से, कुछ कर्मचारियों ने धपनी कैनाती के पिछले स्थानों पर क्वार्टर

5

रोके रखने के लिये भावेदन पत्र दिये हैं। उनके झावेदनों पर विचार किया जा रहा है। कुछ मामलों में क्वार्टर खाली न करने के लिये दंडात्मक किराया वसूल किया जा रहा है। क्वार्टरों को खाली कराने के भी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये क्वार्टरों की बेदखली के लिये शावश्यक नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक कम्पनी कमांडर का स्थानान्तरण सितम्बर, 1981 में किया गया था। अनिधकृत रूप से क्वार्टर के अधिग्रहण के लिये उससे दंडात्मक किराया वसूल किया जा रहा है। इसके ग्रतिरिक्त, क्वार्टर खाली कराने के लिये उपयक्त कार्यवाई की जारही है।

Group clashes in Auroville

3901. SHRI RASHEED MASOOD: SHRI R. N. RAKESH:

Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that group clashes have been on the increase in Auroville:
- (b) if so, details thereof and the reasons for the growing incidents of group clashes in Auroville; and
- (c) the steps taken by Government to get the things in order?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c). There have been a few incidents involving different groups in Auroville during the last two years, but it is not a fact that group clashes have been on the increase. On the other

hand, the presence of the Administrator appointed under the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980, has reduced tension in the area.

It may also be added that the Administrator does not exercise any power under the Act to deal with the law and order problems which are the responsibility of the local civil administration

System for transfer of staff on registered priority basis

3902. SHRI ARVIND NETAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the Railway Board has directed for adoption of a system for registration of requests for the transfer of staff and they are to be transferred on the basis of the priority so registered and this has long back been maintained in Bikaner Division of the Northern Railway:
- (b) if so, whether the priority so maintained has not been considered in the case of periodical transfers of parcel/booking clerks:
- (c) if so, the reasons therefor and the action being taken to redress staff grievances in this behalf; and
 - (d) if not, reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIA-MENTARY AFFAIRS (SHRI MALLI-KARJUN): (a) Yes.

(b) to (d). Periodical transfers of staff are ordered on administrative grounds and not necessarily based on requests of staff, and registration thereof. Even so, to the extent feasible, adjustment of transfer is made in order to avoid hardship to staff.